विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1350 [18/3/2020] ...
...18-03-2020 प्रश्न सं. [क्र. 1350] ...शासन परिशिष्ट क्रं. प्रपत्र - 1

सहकारिता विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-12 / 2019 / 15-1 भोपाल, दिनांक 15.06.2019

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषय: प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा खरीफ 2018 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 15 जून 2019 से बढ़ाकर 30 जून, 2019 किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप क्र. एफ3-4 / 2017 / 15-1 दि. 10.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 10.3.2019 के द्वारा खरीफ 2018 सीजन हेतु डयूडेट 15 जून, 2019 किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

इस योजनान्तर्गत खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देयतिथि समसंख्यक पत्र में उल्लेखित शर्तों के अधीन 15 जून, 2019 के स्थान पर 30 जून, 2019 नियत की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

15/06/19

(आर.एम.मिश्रा)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल

क्रमांक एमपी (एचओ) / 20 / कृषि ऋण / 568 दिनांकः-15.06.2019

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सहकारिता विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाऐं, म.प्र. विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,क्षेत्रीय कार्यालय,ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्राचार्य,अपेक्स बैंक प्रशिक्षण संस्थान, कोटरा सुल्तानाबाद रोड़ भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. शाखा प्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, संभागीय शाखायें (खरगोन सहित) म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कक्ष प्रमुख,समस्त, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या. मुख्यालय भोपाल।

(प्रदीप नीखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक

अपर पंजीयक / ... अधिकारी
... सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

Scanned by CamScanner

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1350 के प्रश्नांश (ग) के जवाब
मान. सदस्य श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा - परिशिष्ट का प्रपत्र-9
सदन में रखा दिनांक 18-03-2020

मध्य प्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 3317/प्र.स.(सहकारिता)/2019 भोपाल दिनांक 05.06.2019

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला समस्त (म.प्र.)

2. संयुक्त आयुक्त/उप/सहायक आयुक्त
   मध्यप्रदेश।

विषय :-जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को ऋण एवं कृषि आदान वितरण व्यवस्था के संबंध में ।

1. जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के पीए ऋण के 8.26 लाखा एवं एनपीए ऋण 9.38 लाख किसानों के ऋण माफ किये जा चुके है । आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के पत्र साख/ योजना/ 2019/ निस/55 दिनांक 08.03.2019 से जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एनपीए ऋण के लेखांकन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा स्तर पर आवश्यक समायोजन किये जाने है । इसके उपरान्त किसानों को खरीफ 2019 के लिये नवीन ऋण वितरण के लिये पात्र हो गये है।

2. कतिपय जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त कृषकों से फसल ऋण वितरण के पूर्व अन्य बैंकों के नोडयूज प्रमाण पत्र लिये जाने एवं भूमि बंधक से मुक्त कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। नो-ड्यूज अथवा बंधक से मुक्त कराने हेतु राज्य शासन अथवा अपेक्स बैंक स्तर से कोई निर्देश नहीं है। उक्त के संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे तथा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को बैंकों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ऋण वितरण एवं कृषि आदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें है।

3. जय किसान फसल माफी योजना के अन्तर्गत राशि रू. 50 हजार से अधिक के पीए ऋण माफी की कार्यवाही अभी प्रकियाधीन है । इन किसानों को स्वीकृति के उपरान्त जय किसान फसल ऋण माफी योजना के निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 पर शेष ऋण अनुसार लाभ प्राप्त होगा । यदि ये किसान ऋण एवं कृषि आदान प्राप्त करना चाहते है तो ऐसे समस्त किसानों के ऋणों को पूर्व वर्षो की भाति प्रचलित प्रकिया अनुसार नया ऋण प्राप्त कर सकते है। इससे इन कृषकों के ऋण माफी की राशि/पात्रता पर कोई अंतर नही आयेगा ।

Scanned by CamScanner

4. इस संबंध में सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर इसका विस्तृत प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करे जिससे किसानों को किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे एवं उनकों ऋण एवं कृषि आदान की उपलब्धता समय पर हो सके ।

5. जिले स्तर पर इस बात की सतत् समीक्षा की जाए कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत लाभांवित किसानों को खरीफ 2019 में चाहे जाने पर ऋण उपलब्ध हो रहा है।

(अजीत केसरी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

पृ.कमांक 3318/प्रस. सहकारिता/2019 भोपाल दिनांक 05.06.2019

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ म.प्र. भोपाल। कृपया उक्त प्रकिया की सतत् समीक्षा करें।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त (म.प्र.) उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावें ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

Scanned by CamScanner